भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 125

दिनांक 21.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत

खादी उत्पादों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, खादी उद्योग का आधुनिकीकरण करना और खादी वस्तुओं का निर्यात करना

125. **श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार वर्तमान में विभिन्न खादी उत्पादों पर अनुसंधान बढ़ाने, खादी उद्योग का आधुनिकीकरण करने, खादी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और नए निर्यात बाजारों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से सहयोग कर रही है;

(ख) क्या मंत्रालय सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी विपणन चुनौतियों को कम करने के लिए खादी उद्योग आयोग से मिश्रित उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है; और

(ग) क्या रेलवे और स्वास्थ्य विभाग को उनकी वार्षिक आवश्यकता के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग से चादरें और तकिए खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): खादी उत्पादों पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आंतरिक अनुसंधान सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास कार्य करता है तथा अन्य अनुसंधान और विकास संगठनों तथा प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों, जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र अनुसंधान संघ और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आदि को परियोजनाएं प्रायोजित करता है। विभिन्न खादी उत्पादों पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई विशेष समन्वय नहीं है।

इसके अलावा, खादी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को सुदृढ़ करने के लिए, केवीआईसी ने एक विशिष्ट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)/वर्धा (जो खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों के लिए नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतःक्षेप, गुणवत्ता मार्गदर्शन और उद्यमिता सहायता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

केवीआईसी ने वैश्विक मानकों के अनुरूप मानक डिज़ाइन प्रक्रियाएँ स्थापित करने, नए कपड़े और उत्पाद तैयार करने तथा कपड़ों के लिए गुणवत्ता मानकों का प्रसार करने के प्रयोजन से हब एंड स्पोक मॉडल पर खादी उत्कृष्टता केंद्र (सीओईके) स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), नई दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खादी उत्कृष्टता केंद्र खादी संस्थानों को डिज़ाइन और उत्पाद विकास, क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

(ख): सरकार के पास एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति 2018 है, जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। यह नीति 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है। इसके अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयू एमएसई से 25% खरीद का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

इसके अलावा, व्यय विभाग द्वारा जारी वस्तु प्रापण मैनुअल (द्वितीय संस्करण, 2024) के अनुसार, "केंद्र सरकार के विभागों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान आवश्यक हथकरघा मूल के वस्त्रों की कुल खरीद में से कम से कम 20% की खरीद खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और/या हथकरघा समूहों जैसे सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) संघों, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), उत्पादक कंपनियों (पीसी), निगमों आदि से करना अनिवार्य होगा, जिसमें पहचान कार्ड रखने वाले बुनकर भी शामिल हैं।

(ग): केवीआईसी द्वारा खादी उत्पादों (जिनमें चादरें और तकिए शामिल हैं) की आपूर्ति रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अर्धसैनिक बलों जैसे सरकारी विभागों को की जा रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान, केवीआईसी ने विभिन्न सरकारी विभागों को 162.51 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी आपूर्ति की।

*****